संख्या-60/2015/वे0आ0-2-949ए/दस-08(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
गोपन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2015**

विषय- राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के विभिन्न पदों पर अनुमन्य विशेष वेतन को संशोधित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के विभिन्न पदों पर अनुमन्य विशेष वेतन को संशोधित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :--

(i) राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय में उप निदेशक/अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर रू0 2000/- प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन विभागीय शासनादेश निर्गत करने के दिनांक से अनुमन्य किया जाये।

(ii) राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय में ज्येष्ठ अभियोजना अधिकारी के पद पर रू0 1600/- प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन विभागीय शासनादेश निर्गत करने के दिनांक से अनुमन्य किया जाये।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-60/2015/वे0आ0-2-949ए(1)/दस-08(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in